# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

**अपील संख्याः 104/2020 एल.आर.एक्ट** **GCMS No. 2020/00106**

1. प्रेमाराम पुत्र स्व. नारायणराम जाति मेघवाल, निवासी गुढ़ा, भगवानदास, तहसील खींवसर जिला नागौर वर्तमान 8 केएलडी, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट

**बनाम**

1. राज्य सरकार द्वारा राज पैरोकार।
2. भूपराम पुत्र गोरूराम जाति मेघवाल, निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर वर्तमान 5 केएलडी तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर।
3. सुगनी पत्नी स्व. नारायणराम जाति मेघवाल, निवासीगण गुढ़ा।
4. कानाराम पुत्र स्व नारायणराम भगवानदास, तहसील खींवसर।
5. आयचूकी पत्नी स्व. सत्यनारायण पुत्र स्व. नारायणराम जाति मेघवाल, निवासीगण गुढा भगवानदास।
6. मैना उम्र 13 वर्ष
7. बिशना उम्र 11 वर्ष
8. शर्मा उम्र 9 वर्ष
9. दीना उम्र 7 वर्ष
10. पानी उम्र 5 वर्ष

पुत्रीयां स्व. सत्यनारायण पुत्र स्व. नारायणराम जाति मेघवाल निवासीगण गुढ़ा भगवानदास।

11. पेमाराम
12. नरसीराम
13. मनोहर

पुत्रगण स्व. नारायणराम जाति मेघवाल निवासीगण गुढ़ा भगवानदास।

14. श्रीमती हस्तु पुत्री स्व नारायणराम
15. श्रीमती जड़ाव पुत्री स्व नारायणराम
16. श्रीमती गुलाबी पुत्री स्व नारायणराम

जाति मेघवाल निवासीगण वर्तमान गुढ़ा भगवानदास तहसील खींवसर, नागौर।

– रेस्पोन्डेंट्स

**उपस्थितः** श्री रणवीर सिंह – अभिभाषक अपीलांट
श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 2

## निर्णय

दिनांकः 19.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) खाजूवाला के आदेश दिनांक 04.01.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमो के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 8 केएलडी के मु.सं. 238/14 के किला नंबर 4 से 8 के 5 बीघा कमाण्ड, किला 12 से 25 के 14 बीघा अनकमाण्ड भूमि अपीलांट के पिता को आवंटित हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलांट के पिता नारायणराम

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वारा उसके पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर तहसीलदार, खाजूवाला के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार खाजूवाला ने उक्त वादगत भूमि का इंतकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। तहसीलदार(राजस्व) खाजूवाला के उक्त आदेश दिनांक 04.01.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 5 केएलडी के मु.सं. 238/14 की भूमि की वसीयत बाबत् प्रकरण दर्ज किया किन्तु मु.सं. 238/14 के चक 5 केएलडी का है, ही नही इसलिए तथाकथित वसीयत कूटरचित एवं फर्जी होने से पारित होने से पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 किसी प्रकार से स्थित रहने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय एवं रेस्पोडेनट संख्या 3 से 16 को नोटिस देना अनिवार्य था जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने से पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस तथाकथित वसीयत के आधार पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई उस रिपोर्ट का मिलान रिकॉर्ड से नही किया गया है इसलिए पटवारी की रिपोर्ट आरम्भ से ही गलत होने से उसको आधार बना कर किया गया आदेश शून्य होने से अपास्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस दैनिक समाचार पत्र युगपक्ष का उल्लेख किया है वह समाचार पत्र गुढ़ा भगवानदास मे कभी नही आया और ना ही आता है इसलिए सूचना प्रकाशन की जानकारी अपीलांट या रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 16 को होना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना आदेश को संशोधन किए ही पटवारी हल्का को आदेश दिया कि 5 केएलडी के स्थान पर 8 केएलडी पढ़ा जावें। जबकि अपने मे संशोधित किया जाना चाहिए एवं वसीयत को भी पढ़ना चाहिए आदेश के वहां 5 केएलडी के अथवा 8 केएलडी है इसलिए आदेश दिनांक 04.01.2016 पूर्णतः दूषित होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार(राजस्व) खाजूवाला द्वारा वसीयत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 अपास्त किए जाने के आदेश प्रदान करें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या ने बहस में अवगत कराया कि मृतक नारायणराम द्वारा रेस्पोडेन्ट भूपराम के पक्ष में दिनांक 18.07.1996 को स्वयं की आवंटन शुदा व खातेदारी भूमि चक 5 केएलडी का मुरब्बा नंबर 238/14 की 19 वीघा भूमि वसीयत कर दी थी तथा मौके पर कब्जा काश्त भूपराम का आज

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तक बदस्तूर चला आ रहा है। नारायणराम को भूमि का आवंटन उपनिवेशन क्षेत्र मे दिनांक 23.11.1983 को हुआ था उक्त चक बाद में चक 8 केएलडी बन गया था, मुरब्बा नं. वही रहा। तहसीलदार खाजूवाला व टीआरए की रिपोर्ट फार्म नं. 3 के साथ पेश की गई है जिससे स्पष्ट है कि आवंटन के समय से भूमि यही है मात्र खाले के आधार पर चक नंबर बदलते रहते है। उक्त भूमि की तमाम किश्ते दिनांक 28.03.2006 को जमा हो चुकी थी कोई किश्त बाकी नही थी आवंटन को 10 वर्ष से अधिक हो चुके थे, यह रिपोर्ट तहसीलदार की पेश की गई है तथा चालान की प्रति भी पेश कर दी गई जिससे स्पष्ट है कि अलांटी नारायणराम के देहान्त दिनांक 07.11.2009 से पहले तमाम किश्ते जमा हो गई, कानून के अनुसार वसीयत वसीयतकर्ता के देहान्त के बाद लागू हो जाती है, यानि तमाम किश्ते जमा होने के बाद खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने के बाद अलाटी नारायण राम को देहान्त हुआ तथा वसीयत वैध रूप से लागू हो गई। राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय आरआरडी 2016 पेज 354 के अनुसार स्पष्ट है कि अगर वसीयत कर्ता के देहान्त के पूर्व किश्ते जमा हो जाने से वह स्वतः ही खातेदार हो जाता है, खातेदारी सनद् चाहे 15 वर्ष बाद मिले। इस कारण उक्त रूलिंग के आधार पर तमाम किश्ते मृत्यु से पूर्व जमा हो चुकी थी रिपोर्ट पेश है इस कारण वसीयत वैध है तथा वसीयत से दर्ज इंतकाल वेघ है। अपीलांट ने वसीयत सिविल न्यायालय व पुलिस थाना में चैलेन्ज कर रखा है जिसकी वसीयत बावत् सक्षम न्यायालय में जैरकार है। फर्द अहकाम की नकल भी पेश की जा चुकी है। आरआरडी 2002 पेज 280 के अनुसार स्पष्ट है अगर वसीयत के बावत् कोई आपत्ति है तो सक्षम न्यायालय से निरस्त करावें। यह न्यायालय जिसमें फिसकल प्रोसिडिंग चल रही है वहां वसीयत की वैधता की बावत् कोई निर्णय नही किया जा सकता। तहसीलदार खाजूवाला द्वारा पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज किया गया था। सार्वजनिक नोटिस मय अखबार में प्रकाशन करवाया गया था। तहसीलदार के समक्ष वसीयत प्रमाणित व साबित की गई थी गवाहों के शपथ–पत्र पेश किये गये थे व मौके की रिपोर्ट प्राप्त करके नियमानुसार इंतकाल दर्ज हुआ। वसीयतकर्ता को अधिकार होता है कि वह अपनी स्वयं अर्जित भूमि की वसीयत किसी को भी कर सकता है तथा वसीयत का रजिस्टर्ड होना कतई आवश्यक नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे तथा तहसीलदार द्वारा दर्ज इंतकाल यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांतों तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) खाजूवाला ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2016 पारित करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर निर्धारित अवधि में आपत्ति नहीं आने, पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त करने एवं वसीयत के गवाहों के बयान लेकर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर पर दर्ज किया हैं। तहसीलदार(राजस्व) खाजूवाला ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2016 वसीयत के आधार पर पारित किया गया हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त वसीयत के आधार पर पारित इंतकाल दर्ज करने के आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) खाजूवाला ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2016 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर